न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 80/16 निर्णय दिनांक 04-12-2020
(जीसीएमएस संख्या 2016/00273)

1. श्रीमती सोना देवी पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मूर्ति पत्नी सत्यनाथ जाति ब्राहमण निवासी अकेहरी मदनपुर तहसील पातनहेल जिला झझर हरियाणा।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़
दिनांक 23—11—2016

उपस्थितः

1. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री ओम जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय दिनांक 23—11—2016 जिसके द्वारा अपीलांट् का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एक खातेदारी भूमि ग्राम नारसीसर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के खेत खसरा नम्बर 86 तादादी 7.59 हेक्टर भूमि स्थित है। अपीलांट् द्वारा उक्त भूमि में से 0.51 हेक्टर भूमि पूर्व खातेदार भंवरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी तथा उसी दिन ही पूर्व खातेदार भंवरलाल ने उक्त भूमि सरोज देवी, अंजू देवी को विक्रय कर दी गई थी। प्रकरण में अपीलांट् एवं सरोजदेवी व अंजूदेवी के मध्य उसी दिन आराजी जैर के बाबत् आपसी बाहमी बंटवारा हो चुका था तथा सभी पक्षकार उक्त बाहमी बंटवारें के अनुसार मौके पर काबिज काश्त थे। अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर वर्ष 2006 में ही विद्युत कनेक्शन स्थापित करवा लिया गया था। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट् की भूमि पर जबरन कब्जा करने व फसल नष्ट करने की धमकी देने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलांट् का धारा 212 आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किया गया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि के मौके पर आज भी अपीलांट् के नाम का विद्युत कनेक्शन स्थापित है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट् के पक्ष में साबित होते हुए भी उन पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश का मुख्य आधार विद्युत कनेक्शन को लेकर लिया गया है। जबकि इस संबंध में अपीलांट् द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त करने का कथन भी किया गया है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर मात्र खाना–पूर्ति करने के उद्वेश्य मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत के उक्त आदेश की आड़ में यदि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को बेचान की जाती है अथवा वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। कानूनन खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स जमाबन्दी जोकि रिकार्ड ऑफ राईट्स के आधार पर वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, तथा वर्तमान तक वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स की बतौर खातेदारी भूमि चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य साबित होने पर ही अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए अपीलांट् का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश से अपीलांट् के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराधात नहीं होना है ना ही अपीलांट् को उक्त आदेश से किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने धोषणात्मक दावा पेश किया तथा उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा तौर पर अपीलांट् के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विवेचन किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया। उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट के तीनों बिन्दुओं की निम्न स्थिति है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला:– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी खसरा संख्या 86, रजिस्टर्ड बैयनामा (सरोज देवी बहक मूर्ति) दिनांक 21–05–2015, विद्युत बिल सरोज देवी, सहायक अभियन्ता (द्वितीय), जोधपुर डिस्कोम डूंगरगढ के पत्रांक 2958 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि निर्मित टयूबवेल अपीलांट की अराजी पर बना हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति:– अभिकथनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए व सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं पर निर्णय एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका है। अपीलांट यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर निषेधाज्ञा खारिज होती है तो उन्हे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 23–11–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04-12-2024 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर